# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

| तारीख पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री विकास पाराशर श्री निर्मल कुमार जैन 01 से 04 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.03.2026 | शिंभूराम बनाम प्रदीप वगैरह (2026 / 17)<br>पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट ने जवाब आवदेन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं जवाब आवेदन पत्र स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 19.03.2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर | |
| 19.03.2026 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 16.03.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।<br>सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।<br>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर ने गलत एवं मनमाने तौर पर बिना प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.07.2024 पारित कर दी तथा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा विधिक सलाह अनुसार उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।<br>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।<br>अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने दौराने जवाब निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2024 जो कि अंतरिम निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, कि जिसके विरूद्ध प्रथम अपील ही पोषणीय नहीं हैं, ऐसी स्थिति में में आवेदनकर्तागण को किसी प्रकार की सफलता प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।<br>अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.07.2024 को पारित की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदनकर्तागण भी उपस्थित हो चुके थे, अपीलाधीन अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.07.2024 की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाये के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पूर्णतया जानकारी हो चुकी थी कि इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध करीब डेढ वर्ष की अवधि के पश्चात मियाद बाहर प्रस्तुत की गई तथा मियाद के संदर्भ में कोई कारण नही दर्शाया गया जबकि मियाद अधिनियम के अनुसार प्रतिदिवस की देरी का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ऐसी अवस्था में उक्त अपील जो भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई इस कारण उक्त आवेदन पत्र भी निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतरिम निषेधाज्ञा जो कि राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत ही पारित किया गया कि जिससे आवेदनकर्तागण को किसी प्रकार की क्षति अथवा परेशानी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है ऐसी अवस्था में इस पैरा | लगातार...... |

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(1)

Scanned with CamScanner

1-7/2026

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार...

में दर्शाये कथन कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आवेदनकर्तागण के पक्ष में हो गलत होने से अस्वीकार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन पत्र एवं मूल अपील ही विशेष खर्चे सहित निरस्त किये जाने की कृपा करें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील की पोषणीयता के संदर्भ में भी अपने जवाब के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की गई है इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत **2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश चाहें वो अंतरिम हो या अंतिम अपील योग्य है।**

हमारे द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2021 आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान **अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955- धारा 221 व 225-एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।**

उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि वादग्रस्त आराजीयात सह खातेदारी की आराजीयात है एवं एक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है एवं एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार को पाबंद नहीं करवा सकता है। विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा पारित आदेश की आड में में अपीलांटस अपने हक व अधिकारों की आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है इसलिए विद्वान सहायक कलक्टर मु0 महोदय, अजमेर द्वारा पारित आदेश काबिज निरस्तनीय है।

यह कि विद्वान सहायक कलक्टर मु0, अजमेर ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद नहीं फरमाया जा सकता किन्तु इसके उपरांत भी उन्होनें आदेश दिनांक 15.07.2024 पारित करते हुए जा0दी0 के प्रावधान आदेश दिनांक 39 नियम 3 (ए) के विधिक प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना की है और उपरोक्त आदेश में इस बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया कि रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद नहीं फरमाया जा सकता और आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्त योग्य है।

लगातार...

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

17/2026 शिखूराय/स्यर

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार...

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना हीप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.07.2024 पारित कर दी। जिसकी आड में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगण को भूमि से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करने पर आमादा हैं जिसमें यदि वह सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के आदेश दिनांक 15.07.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2024 जो कि अंतरिम निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, कि जिसके विरूद्ध प्रथम अपील ही पोषणीय नहीं हैं, ऐसी स्थिति में में आवेदनकर्तागण को किसी प्रकार की सफलता प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 15.07.2024 को पारित की गई थी रेकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनायी रखे, ऐसी अवस्था में उक्त आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है इसी पैरा में दर्शायें शेष कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर आमादा हो कथन गलत होने से अस्वीकार है जबकि विवादित भूमि कि जिस पर अप्रार्थीया संख्या 03 श्रीमती ग्यारसी पत्नी मोहनलाल का कब्जा ही नही था एवं अभिलेख में जो हिस्सा दर्ज किया गया व भी गलत दर्ज किया गया था, ऐसी स्थिति में आवेदनकर्तागण का विवादित भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, उक्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मूल अपील ही जो अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई संधारण योग्य ही नहीं है। अतः उपरोक्त आवेदन पत्र विशेष खर्चे सहित निरस्त किये जाने की कृपा करें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत स्थगन, जवाब एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/अप्रार्थी वादग्रस्त आराजयीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 की ओर से बंटवाडे बाबत वाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 01 से 10 को अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 13 एवं 14 है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का विधिक अवसर दिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जबकि 1993 आर0आर0डी0 पेज 650, 652 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया किया है कि " **सभी सहखातेदारान का अविभाज्य आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है और बिना बंटवारें एक सह–हिस्सेदार दूसरे सह–हिस्सेदार के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता कि एक सहभागीदार दूसरे सहभागीदार के कब्जे काश्त में मदाखल व मजाहमत नहीं करें।**"

अविभाजित संयुक्त आराजीयात पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये अंतरिम स्थगन आदेश से अपीलांट जो कि एक रिकॉर्डेड सह–खातेदार है राज्य सरकार की योजनाओं एवं कृषि आराजीयात के लाभ लेने से वंचित रहना भी प्रतीत होता है। एक रिकॉर्डेड सह–खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार...



Scanned with CamScanner

17/2024 /शिम्भूराय/ 2024

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार...

को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने से अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होना पाया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर. आर.टी. 2006 (2) पेज 1410 पेश किये जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि :– **No** T.I. can be granted against the recorded khatedar प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में एक रिकॉर्डेड सहखातेदार को बिना किसी सुनवाई का विधिक अवसर दिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है अतः पक्षकारों के समय एवं आर्थिक व्ययता के मध्यनजर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रकरण में 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 17 /2026 जिला अजमेर

2026/17

1. शिंभूराम मेघवाल पुत्र श्री उगमाराम, जाति मेघवाल, निवासी गोरजी का पुरा, कुण्डरी, जिला नागौर।
2. मनोज पुत्र श्री गोविन्द जाति भाम्बी निवासी मेघवंशियों का मौहल्ला माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।

—— अपीलांट्स

बनाम्

1. प्रदीप पुत्र हेमराज उर्फ हेमा
2. कुलदीप पुत्र हेमराज उर्फ हेमा
3. अजय पुत्र हेमराज उर्फ हेमा
4. अपना पुत्री हेमराज उर्फ हेमा

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।

5. आरती पुत्री किशना
6. कंचन पुत्री सुजाण
7. श्रीमती ग्यारसी पत्नि मोहनलाल
8. श्रीमती लीला पत्नि किशना
9. अंजली पुत्री किशना नाबालिग जरिये माता लीला पत्नि किशना
10. तन्नु पुत्री किशना नाबालिग जरिये माता लीला पत्नि किशना
11. विकास पुत्र किशना
12. पिंकी पुत्री किशना
13. श्रीमती सायरी पुत्री सुजाण

Scanned with CamScanner

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।

14. विमल कुमार दत्तक पुत्र श्रीमती ग्यारसी पत्नि स्व0 श्री मोहनलाल जाति बलाई निवासी माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।

15. उप पंजीयक द्वितीय अजमेर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर दिनांक 15.7.2024 जो कि प्रकरण संख्या 40/2024 में पारित किया गया।

———

मान्यवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है:—

(अ) यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 729, खसरा नम्बर 1023/4564, खसरा नम्बर 1030/4385, 1197, 1198, 1236, 1250, 726, 728, 740, 708/4812, 734, 736, 740/3855, 756 ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र

Scanned with CamScanner